ORDER SHEET

THE COURT 06of 2017

Date of order or Proceeding Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Proceeding 30 अवेदिका श्रीमती देवी उर्फ रानी सहित श्री अशोक प्रचौरी अधिववता उपस्थित। प्रकरण मूल आवेदनपत्र पर तर्क / विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रकरण पूल आवेदनपत्र पर तर्क / विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रकरण पंव मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जना होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया। प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.िद. 20–12–16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये जिर्य चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.—06/17 दिनांक 17–02–17 को 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन कमांक 06 दिनांक 18–02–17 पर जमा होकर शेष है। पूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20–12–16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक				
Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Proceeding 30 अवेदिका श्रीमती देवी उर्फ रानी सहित श्री अशोक प्रचौरी अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण मूल आवेदनपत्र पर तर्क/विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रकरण एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवार्ड राशि के मुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया। प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 20—12—16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000/— (दो लाख बीस हजार) रूपये जिर्य चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.—06/17 दिनांक 17—02—17 को 2,20,000/— (दो लाख बीस हजार) रूपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन कमांक 06 दिनांक 18—02—17 पर जमा होकर शेष है। पूल अभिलेख के अवलोकन से दिशंत होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20—12—16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक				
प्रकरण मूल आवेदनपत्र पर तर्क / विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रकरण एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया। प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 20—12—16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये जिरये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.—06 / 17 दिनांक 17—02—17 को 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन कमांक 06 दिनांक 18—02—17 पर जमा होकर शेष है। पूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20—12—16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक	order or	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Parties or Pleaders where	
कार्यवाही हेतु नियत है। प्रकरण एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया। प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 20—12—16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000/— (दो लाख बीस हजार) रूपये जरिये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.—06/17 दिनांक 17—02—17 को 2,20,000/— (दो लाख बीस हजार) रूपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन कमांक 06 दिनांक 18—02—17 पर जमा होंकर शेष है। पूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20—12—16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक	19/04/2017	(CO)		
20—12—16 का अवलोकन किया जिसम राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 2,20,000/— (दो लाख बीस हजार) रूपये बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। जो राशि जमा होने पर आवेदकगण जो मृतक के विधिक वारिस है, उन्हें उक्त राशि में 70000—70000/— (सत्तर—सत्तर हजार) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति राशि 40000—40000/— (चालीस—चालीस हजार) रूपये बचत खाते	A.	प्रकरण मूल आवेदनपत्र पर तर्क / विचार एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। प्रकरण एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, अवार्ड राशि के जमा होने के संबंध में नाजिर रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवार्ड राशि के भुगतान वावत् आवेदनपत्र पर सुना, विचार किया गया। प्रकरण में आवेदकगण को क्षतिपूर्ति हेतु खा.दि. 20—12—16 के पालन में बीमा कम्पनी द्वारा 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये जरिये चैक जमा किया गया। जो इस न्यायालय के चैक जमा पंजी कं.—06 / 17 दिनांक 17—02—17 को 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये से नजारत अनुभाग गोहद भेजा गया जो नजारत अनुभाग के पंजीयन कमांक 06 दिनांक 18—02—17 पर जमा होकर शेष है। मूल अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण मध्यस्थता की कार्यवाही में राजीनामा के आधार पर आदेश दिनांक 20—12—16 को निराकृत हुआ। आदेश दिनांक 20—12—16 का अवलोकन किया जिसमें राजीनामा के आधार पर अवार्ड पारित करते हुए राशि 2,20,000 /— (दो लाख बीस हजार) रूपये बीमा कम्पनी द्वारा दो माह के भीतर अदा जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। जो राशि जमा होने पर आवेदकगण जो मृतक के विधिक वारिस है, उन्हें उक्त राशि में 70000—70000 /— (सत्तर—सत्तर हजार) तीन वर्ष के साविध जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति	STATE OF THE PARTY	

राशि के भुगतान वावत् प्रथक से आवेदनपत्र प्रस्तुत किया। जो वाद विचार न्यायहित में स्वीकार कर कुल राशि में से आवेदक के हिस्से के क्षितिपूर्ति राशि 1,10000/— (एक लाख दस हजार) रूपये का आदेशानुसार बाउचर तैयार किया जावे।

अतः आदेश के पालन में आवेदिका श्रीमती देवी उर्फ रानी आयु 28 पत्नी दिनेशे बघेल निवासी घोसीपुरा मुरार ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0 को उसके हिस्से के अवार्ड राशि 1,10000/— (एक लाख दस हजार) रूपये में से 70000/— (सत्तर हजार) तीन वर्ष के सावधि जमा खाते (एफडीआर) के माध्यम से जमा कराये जावें। जिन्हें अधिकरण की अनुमति के बिना आहरित नहीं किया जा सकेगा। शेष क्षतिपूर्ति राशि 40000/— (चालीस हजार) रूपये बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जावे। आदेशानुसार आवेदिका के उपस्थित होने पर का रिफण्ड बाउचर तैयार कर नायव नाजिर गोहद की ओर कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

मूल अभिलेख में आदेश की प्रति संलग्न की जावे। प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार भिण्ड भेजा जावे।

ALLEN STATE OF THE STATE OF THE